

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(79)वित्त-1(1)आय.व्य/2017

जयपुर, दिनांक : 21.1.2019

स्वीकृति संख्या:- 636/2018-19

कोषाधिकारी,
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)
के पी.डी.खाते में राशि रुपये 963.41 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/प्रस्ताव/के.प्र.यो./2018-19 स्वीकृति सं. 40/2018-19 दिनांक 08.01.2019 राशि रुपये 16.50 लाख, स्वीकृति सं. 41/2018-19 दिनांक 08.01.2019 राशि रुपये 807.91 लाख, स्वीकृति सं. 42/2018-19 दिनांक 08.01.2019 राशि रुपये 50.00 लाख, स्वीकृति सं. 43/2018-19 दिनांक 08.01.2019 राशि रुपये 70.00 लाख, स्वीकृति सं. 44/2018-19 दिनांक 08.01.2019 राशि रुपये 10.00 लाख एवं स्वीकृति सं. 45/2018-19 दिनांक 08.01.2019 राशि रुपये 9.00 लाख एवं संशोधित स्वीकृति सं. 63/2018-19 दिनांक 18.01.2019 में अंकित शर्तों के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 963.41 लाख (अक्षर रुपये नौ करोड़ तिरसठ लाख इकतालीस हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

(राशि लाखों में)

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण।	
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।	
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।	
(19)	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित योजनायें।	
[02]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत नवाचार योजनायें।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	10.00
[04]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत जनश्री बीमा योजना।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	16.50
[05]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	70.00
[06]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत सहरिया के माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	807.91
[09]	मोनेटरिंग तथा प्रशासनिक व्यय।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	9.00
[11]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत जनजाति विद्यार्थियों के लिये कोचिंग	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	50.00
	योग	<u>963.41</u>

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय-व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
दूरभाष नं. 0141-5153222 आई.पी. नं.-24462, फैक्स नं. 0141-227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in